18-10-2022 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

तहसीलदार की ओर से पैराकार सरकार नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय सिणधरी को सुना गया।

पैराकार सरकार की बहस है कि भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व ग्राम बाण्डानाडा पटवार मण्डल चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 276 में से होकर गुजरने वाले कदिमी मार्ग को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाये।

हमनें प्रार्थी के पैरोकार की बहस एंव पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पूर्व में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा वक्त क्षेत्र में भ्रमण मौका स्थिति के तथ्यों के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया जिसे मद्देनजर रखते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों तथा परिशिष्ठ एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के परस्पर अद्यतन करते हुए मिलान करने पर पाया गया कि मौके पर कदीमी रास्ता अवस्थित नहीं [illegible] दोनों तरफ से जोड़ने हेतु कदीमी रास्ते को प्रदर्शित करते हुए [illegible] राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया, विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा इस्तदुआ के अनुरूप [illegible] कोई स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की न ही लिखित/[illegible]खिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत [illegible]। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अदालत के संज्ञान में आता है कि प्रस्तावित खसरा नम्बर सामलाती खातेदारी की है, जिसमे पक्षकारान भी अधिक संख्या में है एवं प्रस्तावित भूमि का सकल रकबा 2.0791 हैक्टयर है ऐसी स्थिति यदि प्रस्तावित भू–भाग को बिना विधिवत पक्षकारान की उपस्थिति में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा बाद में पक्षकारान की सामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जोत के वक्त विभाजन आवागमन हेतु रास्ते में विविधता उत्पन्न होगी इस स्थिति में स्वभाविक है कि मूल खसरे का रकबा पक्षकारान के सख्या बल को देखते हुए वक्त विभाजन प्रत्येक खातेदार को इसी पस्तावित रास्ते से जोड़ा जाना अपने आप में नगण्य प्रतीत होता है। चूंकि पक्षकारान की संयुक्त सामलाती खेत के कदीमी रास्ते का अंकन यदि मौके पर संचालित हो अथवा पक्षकारान या पड़ौसी खातेदारान् को आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न होती हो तो आस–पास के पड़ौसी खेतों के निवासियों यथा निकटतम सड़क मार्ग का उल्लेख आवेदन के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शों में अवश्य ही किया जाता, परन्तु बिना खातेदार की सहमति अथवा मौके पर किसी प्रकार का चालू मार्ग नही होने एवं एक ही खेत में घुमावदार तरीके से प्रस्तावित रास्ते को स्वीकार करना अदालत उचित नहीं समझती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों को प्रतिपादित नहीं करने तथा तथ्यहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested